न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर,

बीदासर (चूरू) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– अगीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 09/2024

1. हनुमानाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. नारायणराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. पूर्णाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

... वादीगण ....

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. गोविन्दराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. भुगानाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. राजूराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. सुगनाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
6. पारादेवी पत्नि बींजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बीदासर।

.... प्रतिवादीगण .....

1. इन्द्रचन्द पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. नानूराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

.... गौंणप्रतिवादीगण ......

दावा बाबत् घोषणात्मक रिकॉर्ड संषोधन (नोशनल शेयर) एंव चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हर प्रकार के लिखित एंव मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपस्थित :–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी एडवोकेट – वास्ते वादीगण
2. विद्वान अधिवक्ता श्री आमीन शेख एडवोकेट –वास्ते प्रतिवादीगण व गौंणप्रतिवादीगण
3. प्रतिवादी संख्या 7– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 13-11-2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 ता 6 तथा गौंणप्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 387 तादादी 5.5644 हैक्टेयर, खसरा नं. 388 तादादी 6. 5382 हैक्टेयर कुल खसरे 2 दो रोही कालेरा की ढाणी में स्थित है। जिसमें वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30/01/2024 को खेत खसरा संख्या 387 में से अपने 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.2640 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से खेत खसरा संख्या 387 रकबा 5.5644 हैक्टेयर में अपने 2290/20190 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण व खेत खसरा संख्या 388 रकबा 6.5382 हैक्टेयर में अपना 2219/20190 हिस्सा भूमि में से 0.6530 हैक्टेयर भूमि वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण को विक्रय की थी। विक्रय पत्र के अनुसार प्रत्येक वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के 2 बिघा भूमि यानि की 0.5056 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी थी जो कि सही दर्ज नहीं हुआ। विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड सही करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों का राजस्व रेकार्ड सही करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे आदि आदि वाद पत्र पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व गौंणप्रतिवादीगण जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व गौंणप्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की विधिवत तामील के बाद हाजीर अदालत हुए जिसमें प्रतिवादीगण ने अपनी सहमती प्रस्तुत की। जबाव नहीं देना चाहते। इस प्रकार जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 07 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपना जबाव प्रस्तुत किया जो राजहित निहित नहीं होने का पेश किया जो वादीगण के पक्ष में है। कोई जबावदेही नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण की और से अपने साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.–1 वादी हनुमानाराम, पी.डब्ल्यू–2 नारायणराम व पी.डब्ल्यू.–3 पूर्णाराम ने सशपथ बयान किये है व वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2075–78 खेत खसरा संख्या 387 जो प्रदर्श– 1, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 खेत खसरा संख्या 388 जो प्रदर्श–2 है, नक्शा अक्स खसरा संख्या 387 रोही ग्राम कालेरा की ढाणी जो प्रदर्श 3, नक्शा अक्स खसरा संख्या 388 जो प्रदर्श–4, पंजिकृत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 30/01/2024 जो प्रदर्श–5 है, विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श 5ए है जो वादीगण ने अपने वादपत्र में अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें वकील वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 03 भुगानाराम व प्रतिवादीगण संख्या 06 पारा देवी द्वारा अपने हिस्सा भूमि खेत खसरा संख्या 387 रकबा 5.5644 हैक्टेयर व खसरा संख्या 388 रकबा 6.5382 हैक्टेयर रोही कालेरा की ढाणी में से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/01/2024 को प्रतिवादीगण संख्या 06 ने खेत खसरा संख्या 387 रकबा 5.5644 हैक्टेयर में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2219/20190 हिस्सा व खसरा संख्या 388 रकबा 6.5382 हैक्टेयर में से अपने 2219/20190 हिस्सा भूमि में से 0.6530 हैक्टेयर भूमि वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण को विक्रय की गई व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 03 भुगानाराम ने खेत खसरा संख्या 387 रकबा 5.5644 हैक्टेयर में से अपने 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.2640 हैक्टेयर भूमि वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण को विक्रय की गई। इस प्रकार वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण की प्रत्येक के खेत खसरा संख्या 387 में 3751/55644 हिस्सा व खसरा संख्या 388 में वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण प्रत्येक का 1308/65382 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 03 व 06 द्वारा वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण का कब्जा करवा दिया था वा उसी समय से वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण का उक्त दोनो खेत खसरान पर लगातार उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे आदि – आदि निवेदन किया प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 05 पंजिकृत विक्रय पत्र से बखुबी प्रमाणित है कि वादीगण जरिये विक्रय पत्र से खेत खसरा संख्या 387 में वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण प्रत्येक का 3751/55644 हिस्सा भूमि व खेत खसरा संख्या 388 में 1308/65382 हिस्सा भूमि के खातेदार कृषक है व अपने अपने हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग विक्रय पत्र संपादित के समय से ही लगातार चला आ रहा है।

पत्रावली का भली भांती ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज व वादीगण के बयानों का भली भांती अवलोकन किया गया। जिसे यह प्रमाणित है कि वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण वादगत खेत खसरा संख्या 387 तादादी 5.5644 है में प्रत्येक का 3751/55644 हिस्सा भूमि व खसरा संख्या 388 तादादी 6.5382 है. में 1306/65382 हिस्सा भूमि वाके रोही कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदार कृषक है। वादीगण का वाद इस प्रकार स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादगत खेत खसरा नं. 387 तादादी 5.5644 है वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण प्रत्येक का 3751/55644 हिस्सा भूमि व खसरा संख्या 388 तादादी 6.5382 है. में 1306/65382 हिस्सा वाके रोही कालेरा की ढाणी में वादीगण एंव गौंणप्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

वादीगण का वाद अन्तिम रूप से मुताबिक पंजिकृत विक्रय पत्र इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 387 तादादी 5.5644 है वादीगण व गौंणप्रतिवादीगण प्रत्येक का 3751/55644 हिस्सा भूमि व खसरा संख्या 388 तादादी 6.5382 है. में 1306/65382 हिस्सा वाके रोही कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में शुद्वी किया जावे। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13-11-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू